न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखाण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपर, जिला श्री गंगानगर
पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या: 268/2023(जी.सी.एम.एस. 2023/369)

वादीगण

1. गुरजन्ट सिंह पुत्र हरी सिंह जाति जटसिख निवासी चक 27 एच तहसील श्रीकरणपुर।
2. बेअन्त सिंह पुत्र हरी सिंह जाति जटसिख निवासी चक 27 एच तहसील श्रीकरणपुर।
3. हरजीत सिंह पुत्र हरी सिंह जाति जटसिख निवासी चक 27 एच तहसील श्रीकरणपुर।

बनाम

प्रतिवादीगण

1. अमरजीत कौर पत्नी सुखवन्त सिंह जाति जटसिख निवासी चक 27 एच तहसील श्रीकरणपुर।
2. गुरदीप कौर पुत्री जोगेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी चक 27 एच तहसील श्रीकरणपुर।
3. महेन्द्र कौर पुत्री इसर सिंह पत्नी गुरदेव सिंह जाति जटसिख निवासी चक 27 एच तहसील श्रीकरणपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार श्रीकरणपुर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू 18.08.2023

उपस्थित:1. श्री राजेन्द्र सिंह रमाणा, श्री सुखविन्द्र सिंह सरां अधिवक्ता वादीगण

दिनांक:23.08.2024

—निर्णय—

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि चक 27 एच, पटवार हल्का 26 एच, भू.अ.नि. क्षेत्र लखियां की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 30/30 के मुरब्बा नम्बर 2, 7, 12, 23/2 की कुल 7.716 हैक्टेयर भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त भूमि मे से वादी संख्या 1 के नाम 0.371 हैक्टेयर, वादी संख्या 2 के नाम 0.751 हैक्टेयर, वादी संख्या 3 के नाम 1.901 हैक्टेयर, इस प्रकार वादीगण के नाम कुल 3.023 हैक्टेयर भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। वादीगण एंव प्रतिवादीगण ने काश्त सहूलियत के लिए अपने-अपने हिस्सा की भूमि का वाहमी बंटवारा किया हुआ है। वादीगण को वाहमी बंटवारा में चक 27 एच की जमावन्दी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 30/30 के मुरब्बा नम्बर 12 के किला नम्बर 4 की 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 5 की 0.228 हैक्टेयर, किला नम्बर 6 की 0.228 हैक्टेयर, किला नम्बर 7 की 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 13/2 की 0.113 हैक्टेयर, किला नम्बर 14 की 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 15 की 0.228 हैक्टेयर, किला नम्बर 16 की 0.228 हैक्टेयर, किला नम्बर 17, 18, 23, 24 प्रत्येक सालम-सालम, किला नम्बर 25 की 0.228 हैक्टेयर कुल 3.024 हैक्टेयर भूमि प्राप्त हुई है। वादीगण वाहमी बंटवारा में प्राप्त उक्त भूमि का विधिवत विभाजन करवाना चाहता है। ताकि भविष्य में आने वाली परेशानियों से बचा जा सके। वादीगण का उक्त रकबा संयुक्त खाता में अंकित होने के कारण वादीगण को हर समय भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। कृषि भूमि को हिस्सा, ठेका पर काश्त करवाने, पानी की बारी बंधवाने, कृषि भूमि पर बैंक ऋण आदि प्राप्त करने, कृषि भूमि पर प्राप्त होने वाली राज्य सरकार/केन्द्र सरकार से अनुदान राशि, मुआवजा राशि इत्यादि प्राप्त करने अन्य विभिन्न समस्याओं से झूजना पड़ता है। इस कारण वादी खाता विभाजन हेतु वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रहे है। वादीगण ने आज से दो रोज पूर्व प्रतिवादीगण को उक्त आराजी का हिस्सानुसार किलावाईज विभाजन करने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण ने साफ इन्कार कर दिया। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर चक 27 एच, पटवार हल्का 26 एच, भू.अ.नि. क्षेत्र लखियां की जमावंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 30/30 के मुरब्बा नम्बर 2, 7, 12, 23/2 की कुल 7.716 हैक्टेयर भूमि में से वादीगण के कब्जाकाश्त अनुसार मुरब्बा नम्बर 12 के किला नम्बर 4 की 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 5 की 0.228 हैक्टेयर, किला नम्बर 6 की 0.228 हैक्टेयर, किला नम्बर 7 की 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 13/2 की 0.113 हैक्टेयर, किला नम्बर 14 की 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 15 की 0.228 हैक्टेयर, किला नम्बर 16 की 0.228 हैक्टेयर, किला नम्बर 17, 18, 23, 24 प्रत्येक सालम-सालम, किला नम्बर 25 की 0.228 हैक्टेयर कुल 3.024 हैक्टेयर भूमि खाता व लगान अलग से कायम किए जाने के आदेश दिए जावे।
2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। जवाब स्टेट पेश नहीं होने पर बन्द किया गया। प्रकरण में प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश है। इसलिए प्रकरण में वाद बिन्दू कायम नहीं किए गए।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

वादीगण अधिवक्ता के द्वारा निवेदन किया कि प्रकरण में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार श्रीकरणपुर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर वाद पत्र डिक्री किये जाने के आदेश दिये जावे।

3. पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वादपत्र मय शपथपत्र एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। लिहाजा वादीगण अपनी आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स राजस्व रिकॉर्ड दर्ज भूमि अनुसार तकासमा चाहता है। लिहाजा वादीगण के हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवारा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक प्राथमिक डिक्री इस आशय की जारी की गई कि चक 27 एच, पटवार हल्का 26 एच, भू.अ.नि. क्षेत्र लखियां की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 30/30 के मुरब्बा नम्बर 2, 7, 12, 23/2 की कुल 7.716 हैक्टेयर भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जिसका माफिक राजस्व रिकॉर्ड, हिस्से माफिक भूमि का वादीगण गुरजन्ट सिंह(0.371 हैक्टेयर), बेअन्त सिंह (0.751 हैक्टेयर), हरजीत सिंह(1.901 हैक्टेयर) के मध्य बंटवारा मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स करवाया जाकर खाता एवं लगान अलग-अलग किया जावे। तहसीलदार श्रीकरणपुर को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा अधिकृत किया गया। तहसीलदार श्रीकरणपुर ने प्राथमिक डिक्री की पालना में बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सामिल मिसल की गई।

4. बहस वादीगण अधिवक्ता सुनी गई, बहस के दौरान वादीगण अधिवक्ता ने माफिक बंटवारा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव वादीगण का वादपत्र डिक्री किया जाकर बंटवारा किये जाने की ईश्तदुआ की है। बहस वादीगण अधिवक्ता व तहसीलदार श्रीकरणपुर से प्राप्त पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवारा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद पत्र डिक्री किया जाकर बंटवारा किया जाना हम उचित समझते है।

-:आदेश:-

5. अतः अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है कि राजस्व ग्राम 27 एच, पटवार हल्का 26 एच, भू.अ.नि. क्षेत्र लखियां की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 30/30 के मुरब्बा नम्बर 2, 7, 12, 23/2 की कुल 7.716 हैक्टेयर भूमि में वादीगण के हिस्सा की भूमि का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

क्र. स.	नाम खातेदारान मय वल्दियत सकूनत	राजस्व ग्राम	मु.न.	किला न.	रकबा	किस्म	लगान
1	गुरजन्ट सिंह पुत्र हरी सिंह जाति जटसिख निवासी 27 एच तहसील श्रीकरणपुर।(0.378 हैक्टेयर) बेअन्त सिंह पुत्र हरी सिंह जाति जटसिख निवासी 27 एच तहसील श्रीकरणपुर।(0.736 हैक्टेयर) हरजीत सिंह पुत्र हरी सिंह जाति जटसिख निवासी 27 एच तहसील श्रीकरणपुर।(1.910 हैक्टेयर)	27 एच	12	4	0.253 हैक्टेयर	नहरी	2.10
				5	0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.89
				6	0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.89
				7	0.253 हैक्टेयर	नहरी	2.10
				13/2	0.113 हैक्टेयर	नहरी	0.94
				14, 17, 18	0.759 हैक्टेयर	नहरी	6.30
				23, 24	0.506 हैक्टेयर	नहरी	4.20
				15	0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.89
				16	0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.89
				25	0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.89

शेष खाता एवं रहन बदस्तूर रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावे। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

निर्णय आज दिनांक 23.08.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

अधिकारी (राजस्व)